

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

उद्दालाल बनाम जगदीश गजरी (कॉसा)

किरम मुकदमा ... फा. पत्र 111-128 ..... नं० 32 ..... सन् 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
6-2-23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-2-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
28-2-23	पत्रावली पेश हुई, अधिभाषण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त/वृत्ति कर रकने से पत्रावली दिनांक 14/3/23 को पेश हो।	
14/3/23	पत्रावली पेश हुई, अधिभाषण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त/वृत्ति कर रकने से पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो।	
28-3-23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विक्रम एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का फा. पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सूचक से लिखा जाकर शापठ किया गया। पत्रावली फिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-दुकगीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 32/23 प्र/पत्र

1- श्री उदा लाल डा० श्री काबू गाडरी निवासी-सुरास तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री जगदीश डा० श्री बीक लाल गाडरी निवासी-सुरास तहसील-माण्डल
- 2- श्रीमती लाली देवी डा० श्री जगन्नाथ लाल गाडरी निवासी-सुरास तहसील-माण्डल
- 3- शाहराबाव बाण्ड जरिए तहसीलदार ॥ माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....सुरास.....पटवार हल्का.....सुरास.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० .....1143, 1152.....कुल किता.....02.....रकबा.....0.1264 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदाधिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-02-23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....सुरास.....पटवार हल्का.....सुरास.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....1143, 1152.....कुल किता.....02.....रकबा.....0.1264 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....सेजा को.....500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में नौके व कब्जे की यथार्थिथिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दियस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा